

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 1092/2024

अनवान : -

1. अश्विनी कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।
— वादी

बनाम

1. कलावती पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।
2. विजय कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।
3. दीपक कुमार बैनिवाल पुत्र अश्विनी कुमार जाति जाट निवासी ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक:-18/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 बी बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 263/174 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि एवं रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है० भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 186/162 के कुल खसरे 31 की कुल तादादी 4.2920 है० भूमि वादी के पिता मृतक धर्मपाल पुत्र हरिसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता धर्मपाल पुत्र हरिसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद कलावती (पत्नी), विजय (पुत्र) व अश्वनी (पुत्र) हुए तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी का पुत्र है। वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है० भूमि के प० नं० 321/399 (49) के किला नं. 6/5 की 0.013 है०, 6/6 की 0.114 है०, 7/1 की 0.1270 है०, 8/2 की 0.1270 है०, 9/1 की 0.1260 है०, 10/2 की 0.1260 है०, 11 ता 14 की 1.012 है०, 15/1 की 0.025 है०, 15/2 की 0.2280 है० कुल 1.



Al
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

898 है० जिसमें नहरी-1.1260 है०, बारानी प्रथम-0.734 है०, खाला-0.028 है० भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है एवं वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 263/174 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि के प० नं० 339/395 (63) के किला नं. 19 ता 22 की 1.012 है० बारानी प्रथम की भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 186/162 के कुल खसरे 31 की कुल तादादी 4.2920 है० भूमि के प० नं० 332/395 (56) के किला नं. 12/1 की 0.1520 है०, 16/1/1 की 0.037 है०, 17/1 की 0.040 है०, 18/1 की 0.040 है०, 19/1 की 0.040 है०, 22 ता 24 की 0.759 है०, 25/1/1 की 0.233 है०, 25/2 की 0.001 है०, प० नं० 332/396 (59) के किला नं. 2/1 की 0.038 है०, 2/2 की 0.215 है०, 3/1 की 0.038 है०, 3/2 की 0.215 है०, 4/1 की 0.038 है०, 4/2 की 0.215 है०, 5/1 की 0.038 है०, 5/2 की 0.202 है० 5/3 की 0.013 है० कुल 2.314 है० जिसमें बारानी प्रथम-2.148 है०, रास्ता-0.166 है० पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है० भूमि के प० नं० 322/396 (29) के किला नं. 1/3 की 0.036 है०, 1/4 की 0.203, 10/2 की 0.237 है०, 11/1 की 0.237 है०, 20/2 की 0.237 है०, 21/1 की 0.237 है० कुल 1.187 है० भूमि जिसमें नहरी-0.711 है०, बारानी प्रथम-0.440 है०, रास्ता-0.036 है० पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 186/162 के कुल खसरे 31 की कुल तादादी 4.2920 है० भूमि के प० नं० 332/394 (41) किला नं. 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 1.518 है०, 332/395 (56) किला नं. 16/1/2 की 0.003 है०, 25/1/2 की 0.019 है० प० नं० 333/395 (57) किला नं. 19/3 की 0.018 है०, 20/1 की 0.040 है०, 21/1 की 0.241 है०, 21/2 की 0.012 है०, 22/1 की 0.121 है०, 22/4 की 0.006 है० कुल 1.978 है० जिसमें नहरी-1.518 है०, बारानी प्रथम-0.442 है०, रास्ता-0.018 है० भूमि एवं रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है० भूमि के प० नं० 323/394 (14) के किला नं. 3/4 की 0.177 है०, 8/2 की 0.199 है०, 13/2 की 0.199 है०, 18/2 की 0.199 है०, 19/2 की 0.147 है०, 22 ता 25 की 1.012 है० कुल 1.933 है० नहरी भूमि पर वादी काबिज है। इसी मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।


उपसचिव अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण धर्मपाल पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धर्मपाल के नाम दर्ज है। धर्मपाल के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनाम हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 बी बरानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 263/174 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि एवं रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है० भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 186/162 के कुल खसरे 31 की कुल तादादी 4.2920 है० भूमि वादी के पिता मृतक धर्मपाल पुत्र हरिसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी के पिता धर्मपाल पुत्र

हरिसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद कलावती (पत्नी), विजय (पुत्र) व अश्वनी (पुत्र) हुए तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी का पुत्र है। वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है० भूमि के प० नं० 321/399 (49) के किला नं. 6/5 की 0.013 है०, 6/6 की 0.114 है०, 7/1 की 0.1270 है०, 8/2 की 0.1270 है०, 9/1 की 0.1260 है०, 10/2 की 0.1260 है०, 11 ता 14 की 1.012 है०, 15/1 की 0.025 है०, 15/2 की 0.2280 है० कुल 1.898 है० जिसमें नहरी-1.1260 है०, बारानी प्रथम-0.734 है०, खाला-0.028 है० भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है एवं वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 263/174 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि के प० नं० 339/395 (63) के किला नं. 19 ता 22 की 1.012 है० बारानी प्रथम की भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 186/162 के कुल खसरे 31 की कुल तादादी 4.2920 है० भूमि के प० नं० 332/395 (56) के किला नं. 12/1 की 0.1520 है०, 16/1/1 की 0.037 है०, 17/1 की 0.040 है०, 18/1 की 0.040 है०, 19/1 की 0.040 है०, 22 ता 24 की 0.759 है०, 25/1/1 की 0.233 है०, 25/2 की 0.001 है०, प० नं० 332/396 (59) के किला नं. 2/1 की 0.038 है०, 2/2 की 0.215 है०, 3/1 की 0.038 है०, 3/2 की 0.215 है०, 4/1 की 0.038 है०, 4/2 की 0.215 है०, 5/1 की 0.038 है०, 5/2 की 0.202 है० 5/3 की 0.013 है० कुल 2.314 है० जिसमें बारानी प्रथम-2.148 है०, रास्ता-0.166 है० पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है० भूमि के प० नं० 322/396 (29) के किला नं. 1/3 की 0.036 है०, 1/4 की 0.203, 10/2 की 0.237 है०, 11/1 की 0.237 है०, 20/2 की 0.237 है०, 21/1 की 0.237 है० कुल 1.187 है० भूमि जिसमें नहरी-0.711 है०, बारानी प्रथम-0.440 है०, रास्ता-0.036 है० पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 186/162 के कुल खसरे 31 की कुल तादादी 4.2920 है० भूमि के प० नं० 332/394 (41) किला नं. 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 1.518 है०, 332/395 (56) किला नं. 16/1/2 की 0.003 है०, 25/1/2 की 0.019 है० प० नं० 333/395 (57) किला नं. 19/3 की 0.018 है०, 20/1 की 0.040 है०, 21/1 की 0.241 है०, 21/2 की 0.012 है०, 22/1 की 0.121 है०, 22/4 की 0.006 है० कुल 1.978 है० जिसमें नहरी-1.518 है०, बारानी प्रथम-0.442 है०, रास्ता-0.018 है० भूमि एवं रोही मौजा 22 जेएसएन

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है0 भूमि के प0 नं0 323/394 (14) के किला नं. 3/4 की 0.177 है0, 8/2 की 0.199 है0, 13/2 की 0.199 है0, 18/2 की 0.199 है0, 19/2 की 0.147 है0, 22 ता 25 की 1.012 है0 कुल 1.933 है0 नहरी भूमि पर वादी काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार मृतक धर्मपाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 263/174 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 1.0120 है0 भूमि एवं रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है0 भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 186/162 के कुल खसरे 31 की कुल तादादी 4.2920 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में मृतक धर्मपाल पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता संख्या 94/86 के प0 नं0 321/399 (49) के किला नं. 6/5 की 0.013 है0, 6/6 की 0.114 है0, 7/1 की 0.1270 है0, 8/2 की 0.1270 है0, 9/1 की 0.1260 है0, 10/2 की 0.1260 है0, 11 ता 14 की 1.012 है0, 15/1 की 0.025 है0, 15/2 की 0.2280 है0 कुल 1.898 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 बी बारानी के खाता संख्या 263/174 के प0 नं0 339/395 (63) के किला नं. 19 ता 22 की 1.012 है0 भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 186/162 के प0 नं0 332/395 (56) के किला नं. 12/1 की 0.1520 है0, 16/1/1 की 0.037 है0, 17/1 की 0.040 है0, 18/1 की 0.040 है0, 19/1 की 0.040 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0, 25/1/1 की 0.233 है0, 25/2 की 0.001 है0, प0 नं0 332/396 (59) के किला नं. 2/1 की 0.038 है0, 2/2 की 0.215 है0, 3/1 की 0.038 है0, 3/2 की 0.215 है0, 4/1 की 0.038 है0, 4/2 की 0.215 है0, 5/1 की 0.038 है0, 5/2 की 0.202 है0 5/3 की 0.013 है0 कुल 2.314 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता संख्या 94/86 के प0 नं0 322/396 (29) के किला नं. 1/3 की 0.036 है0, 1/4 की 0.203, 10/2 की 0.237 है0, 11/1 की 0.237 है0, 20/2 की 0.237 है0, 21/1 की 0.237 है0 कुल 1.187 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही

मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 186/162 के प0 नं0 332/394 (41) किला नं. 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 1.518 है0, 332/395 (56) किला नं. 16/1/2 की 0.003 है0, 25/1/2 की 0.019 है0 प0 नं0 333/395 (57) किला नं. 19/3 की 0.018 है0, 20/1 की 0.040 है0, 21/1 की 0.241 है0, 21/2 की 0.012 है0, 22/1 की 0.121 है0, 22/4 की 0.006 है0 कुल 1.978 है0 भूमि एवं रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता संख्या 94/86 के प0 नं0 323/394 (14) के किला नं. 3/4 की 0.177 है0, 8/2 की 0.199 है0, 13/2 की 0.199 है0, 18/2 की 0.199 है0, 19/2 की 0.147 है0, 22 ता 25 की 1.012 है0 कुल 1.933 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1092/2024

अनवान : -

1. अश्विनी कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।
— वादी

बनाम

1. कलावती पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।
2. विजय कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।
3. दीपक कुमार बैनिवाल पुत्र अश्विनी कुमार जाति जाट निवासी ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1092 सन 2024 निर्णय दिनांक -18/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 263/174 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 1.0120 है0 भूमि एवं रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2075 के खाता संख्या 94/86 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.0180 है0 भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 186/162 के कुल खसरे 31 की कुल तादादी 4.2920 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में मृतक धर्मपाल पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता संख्या 94/86 के प0 नं0 321/399 (49) के किला नं. 6/5 की 0.013 है0, 6/6 की 0.114 है0, 7/1 की 0.1270 है0, 8/2 की 0.1270 है0, 9/1 की 0.1260 है0, 10/2 की 0.1260 है0, 11 ता 14 की 1.012 है0, 15/1 की 0.025 है0, 15/2 की 0.2280 है0 कुल 1.898 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 बी बारानी के खाता संख्या 263/174 के प0 नं0 339/395 (63) के किला नं. 19 ता 22 की 1.012 है0 भूमि एवं रोही मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 186/162 के प0 नं0 332/395 (56) के किला नं. 12/1 की 0.1520 है0, 16/1/1 की 0.037 है0, 17/1 की 0.040 है0, 18/1 की 0.040 है0, 19/1 की 0.040 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0, 25/1/1 की 0.233 है0, 25/2 की 0.001 है0, प0 नं0 332/396 (59) के किला नं. 2/1 की 0.038 है0, 2/2 की 0.215 है0, 3/1 की 0.038 है0, 3/2 की 0.215 है0, 4/1 की 0.038 है0, 4/2 की 0.215 है0, 5/1 की 0.038 है0, 5/2 की 0.202 है0 5/3 की 0.013 है0 कुल 2.314 है0 भूमि


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता संख्या 94/86 के प0 नं0 322/396 (29) के किला नं. 1/3 की 0.036 है0, 1/4 की 0.203, 10/2 की 0.237 है0, 11/1 की 0.237 है0, 20/2 की 0.237 है0, 21/1 की 0.237 है0 कुल 1.187 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 186/162 के प0 नं0 332/394 (41) किला नं. 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 1.518 है0, 332/395 (56) किला नं. 16/1/2 की 0.003 है0, 25/1/2 की 0.019 है0 प0 नं0 333/395 (57) किला नं. 19/3 की 0.018 है0, 20/1 की 0.040 है0, 21/1 की 0.241 है0, 21/2 की 0.012 है0, 22/1 की 0.121 है0, 22/4 की 0.006 है0 कुल 1.978 है0 भूमि एवं रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता संख्या 94/86 के प0 नं0 323/394 (14) के किला नं. 3/4 की 0.177 है0, 8/2 की 0.199 है0, 13/2 की 0.199 है0, 18/2 की 0.199 है0, 19/2 की 0.147 है0, 22 ता 25 की 1.012 है0 कुल 1.933 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर